प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

साइबर ठगी और एपीके (APK) फाइल से फोन हैक कर लाखों रुपये उड़ाने वाले अंतरराज्यीय शातिर साइबर अपराधी को पुलिस ने दबोचा

दिनांक 05.08.2026

90 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी का सफल खुलासा, 02 लैपटॉप, 06 स्मार्टफोन, 06 फर्ज़ी/इस्तेमाली सिम, कूटरचित आधार कार्ड व पैन कार्ड बरामद - (APK) फाइल भेजकर पीड़ित का मोबाइल मैसेज इनबॉक्स करता था हैक, फिर यूपीआई से वॉलेट में ट्रांसफर करता था पैसे

पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय, श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में लूट/ चोरी /नकबजनी /धोखाधड़ी /ठगी आदि जैसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

निर्देश के क्रम में महोली पुलिस एवं साइबर क्राइम थाना की संयुक्त टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन हैकिंग एवं साइबर फ्रॉड करने वाले एक शातिर अंतरराज्यीय अभियुक्त को जगतार ढाबा के पास, कस्बा महोली जनपद सीतापुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

घटना का विवरण एवं पंजीकरण:

दिनांक 30.05.2026 को NCRP पोर्टल पर प्राप्त शिकायत (शिकायत सं0 33105260121785) एवं थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 297/2026 धारा 318(4) BNS व 66D IT Act के तहत वादी श्री सूर्यमणि मिश्रा के मोबाइल को अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा हैक कर, बिना अनुमति यूपीआई के माध्यम से ₹90,000/- Swiggy एवं Eternal Limited (Zomato) के वॉलेट अकाउंट्स में ट्रांसफर कर ठगी की गई थी।

गिरफ्तारी व कार्रवाई:

प्राप्त शिकायत व संदिग्ध मोबाइल नंबरों की सीडीआर, कैफ व सर्विलांस लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर साइबर थाना प्रभारी उ0नि0 प्रिंस सोनकर मय टीम तथा निरीक्षक धीरज कुमार शुक्ल मय हमराह टीम द्वारा शाहजहांपुर-सीतापुर हाईवे (कस्बा महोली क्षेत्र) पर घेराबंदी की गई। मुखबिर खास की सटीक सूचना पर जगतार ढाबा के पास से संदिग्ध परिस्थितियों में बैग व लैपटॉप-मोबाइल के साथ बैठे अभियुक्त को योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

भूपेन्द्र पुत्र अमर सिंह ठाकुर, निवासी मकान नं0 145, अमर कॉलोनी, ईस्ट गोकलपुर, गोकलपुरी, उत्तर पूर्वी दिल्ली।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण:

1. लैपटॉप (02 अदद):
2. स्मार्टफोन (06 अदद):
3. सिम कार्ड (06 अदद): विभिन्न कंपनियों (Vi/Vodafone/Idea) के एक्टिव व इस्तेमाली फर्ज़ी सिम कार्ड।
4. दस्तावेज़: 02 अदद पैन कार्ड (नाम भूपेन्द्र), 01 अदद मूल आधार कार्ड, एवं 01 अदद कूटरचित (फर्ज़ी) आधार कार्ड (जिस पर नाम 'राम राजपूत' अंकित है)।

पूछताछ:-

कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त भूपेन्द्र ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से अज्ञात साइबर अपराधियों से जुड़ा हुआ था। वह APK File के माध्यम से पीड़ितों के मोबाइल का मैसेज इनबॉक्स हैक कर ओटीपी (OTP) प्राप्त कर लेता था। इसके बाद पीड़ित के यूपीआई से फर्ज़ी सिमों पर बने Swiggy व Zomato वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर खरीदारी व उपभोग कर लेता था। साथ ही, उसने पुलिस व पहचान छुपाने के लिए अपने मूल आधार कार्ड में कूटरचना कर फर्जी नाम 'राम राजपूत' छपवाया था, जिसका उपयोग वह फर्जी ऑनलाइन अकाउंट्स बनाने में करता था।

पंजीकृत अभियोग व कानूनी कार्रवाई:

उक्त प्रकरण में त्वरित वैधानिक कार्रवाई करते हुए पूर्व पंजीकृत मु0अ0सं0 297/2026 में धारा 336(3) व 340(2) BNS की बढ़ोत्तरी की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया जा रहा है।

संबंधित धाराएं:

- धारा 318(4), 336(3), 340(2) BNS
- धारा 66D IT Act

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस/साइबर टीम:

1. निरीक्षक धीरज कुमार शुक्ल (थाना महोली, सीतापुर)
2. उ0नि0 प्रिंस सोनकर (प्रभारी, साइबर क्राइम थाना, सीतापुर)
3. आरक्षी भूरी सिंह, का0 रॉबिन वालियान (चालक)
4. आरक्षी अमित कुमार, आरक्षी अनिल सिंह (साइबर सेल)


कोतवाली-महोली
जनपद : सीतापुर (उ.प्र.)